कार्यालय : नगर पंचायत कुर्सेला

अल्पकालीन डाक सूचना सं0—03/2024—25

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तिय वर्ष 2025—2026 (01.04.2025 से 31.03.2026) के लिए नगर पंचायत कुर्सेला के सैरात यथा **(1) नव निर्मित डीलक्स शौचालय** की बन्दोवस्ती खुले डाक द्वारा संलग्न तिथि एवं समय के अनुसार किया जायेगा, जो भी व्यक्ति डाक में भाग लेना चाहते हो वे डाक के नियम एवं शर्त्तों के अनुसार डाक में भाग ले सकते है। **डाक का स्थान— नगर पंचायत, कुर्सेला का कार्यालय।**

क्र.	सैरात की विवरणी	डाक की प्रथम तिथि एवं समय	सुरक्षित जमा राशि	अग्रधन जमा 10 प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	नव निर्मित डीलक्स शौचालय	प्रथम तिथि **20.03.2025** **12:30** पूर्वाहन द्वितीय तिथि **24.03.2025** **12:30** पूर्वाहन तृतीय तिथि **27.03.2025** **12:30** पूर्वाहन	6,05,000/-	60,500/-	नगर पंचायत कुर्सेला द्वारा निर्धारित दर।

डाक का नियम एवं शर्ते।

1. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को आधार कार्ड/पेन कार्ड की छाया प्रति एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण—पत्र देना होगा।
2. डाक में भाग लेने के लिए प्रति डाकवक्ता द्वारा सुरक्षित जमा का 10 प्रतिशत अग्रधन राशि **डिमांड डॉफ्ट के रूप में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत कुर्सैला के पदनाम से** डाक बोली के निर्धारित तिथि को डाक के निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व में ही नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।
3. **डाक समाप्ति के पश्चात सफल डाकवक्ता को उच्चतम डाक की राशि की सम्पूर्ण राशि एवं निर्धारित स्टॉम्प शुल्क सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि पर 06 प्रतिशत की दर से एवं निबंधन शुल्क 02 प्रतिशत की दर यानि 108 प्रतिशत राशि का डिमांड ड्रॉफ्ट, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत कुर्सेला के नाम से या NEFT/RTGS के माध्यम से उसी दिन जमा करना होगा।**
4. उच्चतम डाकवक्ता द्वारा बोली गयी राशि पर यदि बन्दोवस्ती नही ली जाती है तो उनके अग्रधन के रूप में जमा की गई राशि जप्त कर ली जोयगी एवं द्वितीय डाकवक्ता के साथ उच्चतम डाकवक्ता द्वारा बोली गई राशि पर बन्दोवस्ती की दी जायेगी।
5. असफल डाक वक्ताओं को अग्रधन स्वरूप जमा राशि डाक के बाद तत्क्षण वापस कर दी जाएगी (सफल डाक वक्ता के निकटतम डाक वक्ता को छोड़कर) तथा सफल डाक वक्ताओं द्वारा अग्रधन स्वरूप जमा राशि को शेष राशि के जमा योग्य राशि के साथ समायोजन किया जाएगा एवं निकटतम डाक वक्ता को अधिकतम डाक वक्ता द्वारा राशि जमा कराने के पश्चात् उन्हें भी अग्रधन की जमा राशि वापस लौटा दी जाएगी।
6. यदि पूर्व के बन्दोवस्तदार/उनके परिवार के सदस्य डाक में भाग लेते है तो पूर्व का बकाया रहित प्रमाण—पत्र से संबंधित शपथ पत्र (नोटरी) डाक के पूर्व जमा करना होगा।
7. **बन्दोवस्तधारी को बट्टी वसूली निर्धारित स्थान से नगद/upi के माध्यम से ही करना होगा।**
8. बन्दोवस्तधारी को अद्यतन श्रम कानूनों का अनुपालन करना होगा एवं जी0एस0टी0, आयकर सहित अन्य सभी अद्यतन सरकारी कानूनों का भी अनुपालन करना होगा।
9. **डीलक्स शौचालय**की साफ—सफाई/बिजली/पानी एवं रख रखाव में किसी भी प्रकार आवश्यक व्यवस्था लेसी को ही अपने व्यय पर करना होगा।
10. **डीलक्स शौचालय** में नगर पंचायत, कार्यालय द्वारा जिस अवस्था में उपलब्ध कराया जायेगा उसी अवस्था में (यथा किसी भी प्रकार का तोड़—फोड़ इत्यादि) में रखने की सारी जबावदेही लेसी की होगी।

कृ0पृ0उ0........

11. डीलक्स **शौचालय** की वसूली निर्धारित दर पर ही करनी होगी तथा प्रत्येक से वसूली हेतु स्वंय द्वारा छपाई गई बट्टी रसीद उन्हे निर्गत करनी होगी। जिसका व्यय वे स्वंय वहन करेंगें। दर तालिका या अन्य सूचना का प्रकाशन एवं सुरक्षा लेसी को ही करना होगा।

12. बाढ़ सूखा एवं अन्य प्राकृतिक विपदाओं पर बन्दोवस्ती की राशि में किसी प्रकार का छूट अनुमान्य नही होगा।

13. किसी भी हालत में किसी भी सम्प्रदाय द्वारा डीलक्स **शौचालय** में अस्थाई/स्थाई धार्मिक या मजहबी निर्माण होने नही दिया जायेग। इसकी सारी जवाबदेही हाट बन्दोवस्तदार की होगी।

14. सफल डाकवक्ता को एकरारनामा के पूर्व जी0एस0टी0 प्रमाण–पत्र जमा करना होगा।

15. बन्दोवस्तधारी को बट्टी वसूली हेतु दर तालिका का प्रकाशन करना होगा।

16. लेसी को अपने खर्च से नगर पंचायत कुर्सेला के साथ डाक समाप्ति के साथ ही एकरारनामा करना होगा। एकरारनामा करने के पश्चात् ही लेसी को वसुली करने का अधिकार होगा।

17. नगर पंचायत कुर्सैला द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्त्त को लेसी द्वारा उल्लंघन करने या किसी प्रकार की लिखित सूचना आने पर उनके एकरारनामा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

18. बन्दोवस्तधारी के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्त्त का उल्लंघन करने पर दंड (पेनालटी) देना होगा।

19. डाक रद्द करने एवं डाक तिथि परिवर्तन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

20. विस्तृत जानकारी के लिए नगर पंचायत कुर्सेला कार्य अवधि में इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है एवं कटिहार जिले के वेबसाईट **https://kurselamunicipal.com** पर भी देखा जा सकता है।

21. यदि किसी कारणवश उक्त निर्धारित प्रथम तिथि को बन्दोवस्ती नहीं होने की स्थिति में डाक की अगली तिथि–24.03.2025 एवं 27.03.2025 को 12:30 बजे पूर्वाहन् में खुली डाक द्वारा बन्दोवस्ती की जायेगी।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, कुर्सेला।

5/3/25